पश्चिम मध्य रेल मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय कार्मिक विभाग जबलपुर-482001		West Central Railway DRM's Office Personnel Department Jabalpur -482001

पत्र क्र.जबल / का / 620 / भर्ती / अधिसूचना / एक्ट अप्रेंटिस 2018–19 वर्ष दिनांक 19/12/18

Skill India
कौशल भारत - कुशल भारत

विज्ञापन सं– 01 / 2018

विषयः– वर्ष 2018–19 के लिए पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर मंडल में डीजल शेड, कै.वै., एसएंडटी, विघुत, टी.आर.डी, टी.आर.एस, कार्मिक, इंजीनियरिंग विभागों के लिए अप्रेंटिस एक्ट– 1961 के अंतर्गत अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं का चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबध में।

––––––000––––––

वर्ष 2018–19 के लिए अप्रेटिंस एक्ट 1961के अंतर्गत एक्ट अप्रेटिंस प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग अप्रेटिंसशीप कराने हेतु निम्नलिखित विभिन्न ट्रेडों के लिए अधिसूचना में दी गई शर्तो के अधीन पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किए जाते है :–

Sr.No	Trade	Number of Seats					Training Period (As per Apprentice Act ,1961)	Department
		UR	OBC	SC	ST	Total		
1	Diesel Mechanic	51	27	15	7	100	One Year	MECH (Diesel)
2	Electrician	61	32	18	9	120	One Year	
3	Welder	5	3	1	1	10	One Year	
4	Machinist	3	2	1	0	6	One Year	
5	Fitter	97	51	28	14	190	One Year	MECH (C&W)
6	Welder	11	6	3	1	21	One Year	
7	Fitter	81	43	24	12	160	One Year	Electric Shed NKJ
8	Turner	6	2	1	1	10	One Year	
9	Machinist	6	2	1	1	10	One Year	
10	Welder	11	5	3	1	20	One Year	
11	Wireman	11	5	3	1	20	One Year	
12	Electrician	101	54	30	15	200	One Year	
13	Electrical	69	37	20	10	136	One Year	TRD
14	Wireman	9	5	3	1	18	One Year	Electrical (Gen.)

15	Mason	13	7	4	1	25	One Year	Engg.
16	Carpenter	8	4	2	1	15	One Year	
17	Fitter	11	5	3	1	20	One Year	
18	Painter	6	2	1	1	10	One Year	
19	Blacksmith	11	5	3	1	20	One Year	
20	COPA	3	1	0	0	4	One Year	Personnel
21	Steno	3	2	1	0	6	One Year	
22	Hotel Clerk /Front office Assistant	2	0	0	0	2	One Year	
23	Fitter	5	2	1		8	One Year	S&T
24	Electrician	6	2	1	1	10	One Year	S&T
25	Electronic Mech.	16	8	4	2	30	One Year	S&T
26	Painter	3	1	1	0	5	One Year	S&T
27	Carpenter	3	1	1	0	5	One Year	S&T
28	Information & Communication Tech.	6	2	1	1	10	One Year	S&T
29	Draftsman	3	1	1	0	5	One Year	S&T
30	Cable jointer	4	1	1	0	6	One Year	S&T
31	Mechanic cum Operator Electronics System	6	2	1	1	10	One Year	S&T
32	CDA CAM Operator cum Programmer	4	1	1	0	6	One Year	S&T
33	Computer networking Tech.	6	2	1	1	10	One Year	S&T
34	Computer and Peripheral Hardware Repair and Maintenance Mech.	6	2	1	1	10	One Year	S&T
35	Electrical Mech.	13	6	4	2	25	One Year	S&T
36	Mechanic Communication Equipment Maintenance	6	2	1	1	10	One Year	S&T

1. आयु सीमा :–

अ.) अभ्यर्थी की आयु सीमा दिनांक **31.12. 2018** को न्यूनतम आयु **15** वर्ष तथा **24** वर्ष से पूर्ण नही होनी चाहिए।

ब.) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए **05** वर्ष और पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 03 वर्ष ऊपरी आयु सीमा में छूट है। ऊपरी आयु में छूट हेतु केन्द्र सरकार द्वारा जारी नवीनता प्रोफार्मा में जाति प्रमाण पत्र (दस्तावेज/साक्षात्कार) के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा छूट के लाभ से वंचित रहेंगे।

स.) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट हैं।

2. **शैक्षणिंक योग्यता :–** अभ्यर्थी को 50 प्रतिशत अंक के साथ दसवीं परीक्षा अथवा इसके समकक्ष परीक्षा (10+2 शिक्षा पद्वति) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है साथ ही अभ्यर्थी एनसीवीटी/एसीवीटी से मान्यता प्राप्त प्रौघोगिकी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई उत्तीर्ण होना चाहिए। **नोट :–प्रधान अध्यापक द्वारा जारी आईटीआई प्रमाण पत्र अमान्य होगा।**
3. **भूतपूर्व सैनिक :–** कुल पदों का 03 प्रतिशत आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है, अनारिक्षत/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक को उनकी संबंधित श्रेणी में रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिये गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाएगा :–
   (1) मृत सैनिक के बच्चे/युद्व के समय मारे गए/दिव्यांग सैनिक सहित,
   (2) भूतपूर्व सैनिक के बच्चे,
   (3) सेवारत अधिकारी के बच्चे,
   (4) भूतपूर्व सैनिक
   (5) सेवारत जवान के बच्चे
4. **विकलांग अभ्यर्थी :–** कुल पदों का 03 प्रतिशत विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरिक्षत है। यह आरक्षण Loco Motor or cerebral palsy (OH) के लिए 40 प्रतिशत से कम की विकलांगता स्वीकार्य नही है। श्रवण विकलांगता के अभ्यर्थी जिनकी श्रवण की क्षमता 60 डेसिबल या अधिक हो वह आवेदन करने के लिए पात्र हैं। जो विकलांग अभ्यर्थी विकलांगता के आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते है वह अपनी विकलांगता का प्रमाण पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करेंगे। केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण पत्र पर ही विचार किया जाएगा।
5. **चिकित्सा परीक्षण :–** रेलवे बोर्ड के पत्र क्र. ई(एमपीपी) 2009/06/14 दिनांक 04.12.2018 के अनुसार अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि एक्ट अप्रेंटिस 1961 और अप्रेंटिसशीप नियम 1992 के तहत निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें केन्द्रीय/राज्य सरकार के अधिकृत डॉक्टर (राजपत्रित) द्वारा हस्ताक्षरित व सील मुहर होनी चाहिए **(केन्द्रीय/राज्य सरकार के सहायक सर्जन के पद के नीचे का न हों)**
6. **चयन प्रकियां :–**
   क.) एक्ट अप्रेंटिस की ट्रेनिंग हेतु चयन प्रकिया अभ्यर्थियों के मेरिट के आधार पर होगी जो संबंधित विज्ञापन के आधार पर योग्य पाये जायेंगे। इस चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा / साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा नही ली जायेगी।
   ख.) मेरिट सूची का निमार्ण मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड/संस्थान द्वारा जारी उसके दसवीं व समकक्ष परीक्षा में कुल अंक के प्राप्तांक के आधार पर गणना की जाएगी।
   ग.) चयन सूची का निर्माण ट्रेड/कम्युनिटी/कैटेगरी की मेरिट के आधार पर होगा, समान प्राप्तांक वाले अभ्यथियों को आयु में बड़े उम्मीद्वार की वरीयता पहले दी जाएगी।
   ध.) चयनित अप्रेंटिस को ट्रेनिंग जबलपुर मंडल में कहीं पर भी दी जा सकती है।
   ड़) किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता देय नहीं है।
   च.) चयनित अभ्यर्थी को ट्रेनिंग के दौरान हास्टल/आवासीय सुविधा नही उपलब्ध कराया जाएगा। एक्ट अप्रेंटिस 1961 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी को आवासीय व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
   छ.) एक्ट अप्रेंटिस 1961 में ट्रेनिंग के पश्चात् रेलवे में रोजगार की कोई गारंटी नहीं हैं।
   ज.) एक्ट अप्रेंटिस 1961 में जो अभ्यर्थी किसी भी संस्थान/संगठन से पहले से ट्रेनिंग पूर्ण कर चुके हैं वे इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने के लिए योग्य नहीं होंगे।
   झ.) ट्रेनिंग सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को महानिदेशक , इम्प्लाईमेंट एंड ट्रेनिंग, मिनिसट्री ऑफ लेबर एंड इम्प्लायमेंट , नई दिल्ली द्वारा लिए जाने वाले ट्रेड टेस्ट को देना होगा एवं उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा परन्तु रोजगार की कोई गारंटी नहीं हैं।

7. **वृतिका :–** समय –समय पर रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार देय हैं।
8. **अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि :–** रेलवे बोर्ड के पत्र क्र. ई(एमपीपी) 2017/06/1 दिनांक 31.05.2017 (आर.बी.ई स. 54/2017) के अनुसार केवल 01 वर्ष की अवधि के लिए अप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग दिया जाएगा।

9. संविदा :–

क.) **प्रशिक्षण के दौरान अनुबन्ध/करार** – जिन अभ्यर्थियों को एक्ट अप्रेंटिस –1961 के अंतर्गत चयनित किया जाएगा। उनको प्रशिक्षण के पूर्व अनुबंध पत्र भरकर नियोक्ता को उपलब्ध करना होगा।

ख.) यदि चयनित अभ्यर्थी नाबालिग हो तो अभिभावक द्वारा अनुबंध/करार निष्पादित करना होगा।

ग.) अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अतंर्गत प्रशिक्षण की अवधि 01 वर्ष की होगी, प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नही होगा।

10. आवेदन भरने हेतु सावधानियां :–

क.) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय उसके सभी कालम को पूर्ण रूप से भरें। जैसे :– नाम,पिता का नाम,माता का नाम, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अपिव एवं विकलांगता की श्रेणी, मोबाइल नम्बर , ईमेल आईडी इत्यादि।

ख.) तुरन्त खींची गई पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (जिसमें तिथि अंकित हों) व हिन्दी और इंगलिश में हस्ताक्षर 20 Kb में अपलोड करनी होगी। इस विज्ञापन के पूर्व की फोटोग्राफ अमान्य होगा।

11. **आवेदन प्रारंभ व अंतिम तिथि** :– अभ्यर्थी **दिनांक** 24.12.18 **से** 23.01.19 **तक रात 12.00 बजे तक** ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फार्म के प्रिंट आउट सुरक्षित रखें, भविष्य में दस्तावेज सत्यापन / रिकार्ड स्क्रीनिंग के समय आप से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी , शैक्षणिक योग्यता व अन्य दस्तावेज के साथ उपस्थित होना होगा। **कृपया आवेदन की भौतिक (Physical) प्रति जबलपुर न भेजें।**

12. अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश :–

क) अभ्यर्थी का आवेदन पत्र ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। अन्य स्त्रोतों से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नही किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी *www. mponline .gov.in* में जाकर *Home page* में *application option* में जाकर *west central railway click* करें।

ख) आवेदन शुल्क 100/–रूपये (नान–रिफंडेबल) और पोर्टल शुल्क 70/–रूपये (+18% GST के साथ) है, जो अभ्यर्थी को ऑनलाइन भुगतान करना होगा।

ख) अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/महिला उम्मीद्वारों के लिए आवेदन शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

ग) यदि अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिव समुदाय से हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी केन्द्रीय सरकार के नवीनतम प्रोफार्मा में जाति प्रमाण पत्र रिकार्ड स्क्रीनिंग के समय प्रस्तुत करेंगें।

घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने–जाने पर किसी भी प्रकार का टीए/डीए नही दिया जाएगा।

ड़) किसी प्रकार की पैरवी या दबाव डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

च) यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हों एवं किसी भी प्रकार के विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीद्वारी निरस्त कर दी जायेगी।

छ) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/चयनित अभ्यर्थी ने गलत/जाली /झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है।

ज) रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न हाने या बुलावा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तदायित्व नही लेता है। इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नही किया जाएगा।

झ) जो दिव्यांग का लाभ लेना चाहते हैं वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (अर्थात केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत् गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)

त) अभ्यर्थी के आवेदन की स्वीकृति, अस्वीकृति ,पात्रता संबंधित निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा।

13. **तकनीकी सहायता हेतु** :– इस कार्यालय के दूरभाषा नम्बर 55746 से कार्य दिवस के समय प्रातः 10 बजे से 18 बजे तक कार्यालयीन दिवस में सम्पर्क की जा सकती है।

19.12.18

(धर्मेन्द्र विके)
मंडल कार्मिक अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

पत्र क्र.जबल/का/620/भर्ती/अधिसूचना /एक्ट अप्रें 2018–19 वर्ष दिनांक 19/12/18

प्रतिलिपि :–

1. समस्त जिला रोजगार अधिकारी /जबलपुर,कटनी,सतना,सागर बीना,भोपाल सिंगरौली,होशगाबाद से अनुरोध है कि योग्य उम्मीद्वार से आग्रह करें कि उम्मीद्वार www.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।
2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/पमरे,जबलपुर को सूचनार्थ।
3. समस्त शाखा अधिकारी , जबलपुर मंडल को सूचनार्थ ।
4. जनसंपर्क अधिकारी , पमरे/जबलपुर
5. मंडल सचिव वेस्ट सेन्ट्रल मजदूर संध , वेस्ट सेन्ट्रल रेल्वे एम्प्लाइज यूनियन ,एससीएसटी रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन व ओबीसी एम्प्लाइज एसोसिएशन को सूचनार्थ
6. समस्त कर्मचारी एवं कलयाण निरीक्षक, जबलपुर मंडल
7. सूचना पटल

19.12.18

कृते मं.रे.प्र.(का.) पमरे/जबलपुर

कृते मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
प. मध्य रेल्वे, जबलपुर
For Divl. Rly. Manager (P)
W. C. Rly., Jabalpur